न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 352 / 2022

यूको बैंक, शाखा पिलानी, जिला झुंझुनूं राज0।

—— प्रार्थी (सिक्योर क्रेडिटर)

बनाम

1. मैसर्स कटारिया ऑटो मोबाइल्स, प्रो0 श्री धर्मपाल सैनी पुत्र श्री लीलूराम, बस स्टेण्ड के पास, विघा विहार, पिलानी, जिला झुंझुनूं।
2. श्री धर्मपाल सैनी पुत्र श्री लीलूराम, (मैसर्स कटारिया ऑटो मोबाइल्स), वार्ड नं0 1 (पुराना वार्ड नं0 8) शांति नगर, झेरली रोड, विघा विहार, पिलानी, जिला झुंझुनूं।
3. श्रीमती सुमन सैनी पत्नि श्री धर्मपाल सैनी (गारन्टर–मैसर्स कटारिया ऑटो मोबाइल्स), वार्ड नं0 1 (पुराना वार्ड नं0 8) शांति नगर, झेरली रोड, विघा विहार, पिलानी, जिला झुंझुनूं।

—— ऋणी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्शट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल असैट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 (अब आगे से एक्ट से सम्बोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी / जमानती से बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्युमेन्ट्स का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत

——

उपस्थितः—

1. श्रीमती अंजुम एवं श्री मनोज वर्मा, एडवोकट– प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 02.01.2023

प्रार्थी यूको बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स कटारिया ऑटो मोबाइल्स को दिनांक 30.03.2021, 08.06.2021 को रूपये 50,14,800.50 का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी / जमानती ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 30.03.2021, 08.06.2021 को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति (जो आपके अधिकार क्षेत्र मे स्थित है) से रक्षित है–खसरा नं0 639 व पट्टा नं0 39 वार्ड नं0 1 (पुराना वार्ड नं0 8), शांति नगर, झेरली रोड, विघा विहार, पिलानी जिला झुंझुनूं मे स्थित है के ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप मे ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके परिसम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यक / दृष्टिबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान मे चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 05.01.2022 को नियमानुसार अनर्जक परिसम्पत्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 31.05.2022 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 एडी से ऋणी / जमानती को उनके पते पर नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये 58,97,641.93 अक्षरे अठावन लाख सतानवे हजार छः सौ इकतालीस रूपये तिरानवे पैसे मात्र + इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। बैंक का दिनांक 30.04.2022 को रूपये 58,97,641.93 अक्षरे अठावन लाख सतानवे हजार छः सौ इकतालीस रूपये तिरानवे पैसे मात्र + इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी / जमानती से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को गिरवीकृत चल व अचल सम्पत्ति –खसरा नं0 639 व पट्टा नं0 39 वार्ड नं0 1 (पुराना वार्ड नं0 8), शांति नगर, झेरली रोड, विघा विहार, पिलानी जिला झुंझुनूं मे स्थित है स्थित भूमि व निर्मित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

भवन है व कुल क्षेत्रफल 274.04 वर्ग गज है का कब्जा लेकर बिकी करनी है। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति को अपने नियन्त्रण मे लेकर प्रतिभूत लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। गिरवीकृत अचल सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है जिसका विवरण निम्न है:– खसरा नं0 639 व पट्टा नं0 39 वार्ड नं0 1 (पुराना वार्ड नं0 8), शांति नगर, झेरली रोड, विघा विहार, पिलानी जिला झुंझुनूं मे स्थित है स्थित भूमि व निर्मित भवन है व कुल क्षेत्रफल 274.04 वर्ग गज है। उपरोक्त सम्पत्तियों पर उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधीकरण के द्वारा कोई रोक नही है। सविनय निवेदन है कि उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी यूको बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी यूको बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी यूको बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी यूको बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी सं0 2 धर्मपाल सैनी व अप्रार्थी सं0 3 श्रीमती सुमन सैनी के मालिकाना हक की बंधक रखी गई सम्पति खसरा नं0 639 व पट्टा नं0 39 वार्ड नं0 1 (पुराना वार्ड नं0 8), शांति नगर, झेरली रोड, विघा विहार, पिलानी जिला झुंझुनूं मे स्थित है स्थित भूमि व निर्मित भवन है व कुल क्षेत्रफल 274.04 वर्ग गज है का पजेशन प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 02.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:13 IST
Reason: SelfAttested

(एस0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं